

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर०ए०एस०



न्याय निर्णयन आवेदन सं० 07/17

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर।

बनाम

अभियुक्त (मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता) रमेश कुमार गर्ग पुत्र श्री हीरालाल गर्ग, जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं 10 अग्रसेन चौक, सादुलशहर फर्म : मै. रमेश किरयाना स्टोर, दुकान नं 161-162, नई तह बाजार सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।


अभियुक्त

अपराध अ० धारा 26 उपधारा 2(II)खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006

निर्णय


दिनांक : 23 जून ,2017

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री विनोद कुमार शर्मा दिनांक 29.10.2016 से कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्य सम्पादन कर रहे हैं और उन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 28.09.2016 के द्वारा उन्हें कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में आते हैं।


अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.01.2017 को दोपहर 04:00 पी.एम. पर फर्म मै. रमेश किरयाना स्टोर, दुकान नं 161-162 नई तहबजारी, सादुलशहर पहुंचे। विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया तथा परिचय लिया। श्री रमेश कुमार गर्ग पुत्र हीरालाल गर्ग जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं 10 अग्रसेन चौक, सादुलशहर एवं फर्म मै. रमेश किरयाना स्टोर पर खाद्य कारोबारकर्ता के मालिक की हैसियत से मौजूद था एवं आम जनता को प्रोप्राईटरी फूड Compound Asafoetida Powder (R-Pure) बेच रहा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण करने के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ प्रोप्राईटरी फूड Compound Asafoetida Powder (R-Pure) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु दुकान की अलमारी में प्रोप्राईटरी फूड Compound Asafoetida Powder (R-Pure) के 33X50gm पैकड कंटेनर में से 12 X 500gm पैकड कंटेनर खरीदा। प्रोप्राईटरी फूड Compound Asafoetida Powder (R-Pure) की कीमत 1200 रु. अदा की एवं खरीद रसीद तैयार की, फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं ने अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल पर कोड एवं सीरियल नम्बर, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर, उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किए। तत्पश्चात् खरीद शुदा प्रोप्राईटरी फूड Compound Asafoetida Powder (R-Pure) के के पैकड कंटेनरों के तीन तीन कंटेनरों को मिलाकर चार पैकेट बनाए और टेप से चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप के-749 को नियमानुसार नीचे ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बंद कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता रमेश कुमार गर्ग ने पढ़कर, सुनकर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म 6 की 8 प्रतियां तैयार की उस पर नमूने को सील करने के समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म संख्या 6 की एक-एक प्रति लगाकर नमूने के चारों भागों प्रत्येक को अलग-अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा, ऊपर नीचे, आजू बाजू सील चपड़ी किया तथा फार्म संख्या 6 की दो दो


अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर



प्रतियां दो लिफाफों में अलग-अलग बंद कर गोंद से चिपकाई। नमूने के चारों भागों एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के एक भाग एवं फार्म संख्या 6 का एक सील बंद लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा शेष तीन सील बंद नमूना भाग मय फार्म 6 की सील बंद लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ., श्रीगंगानगर को स्वयं ने जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इसके पश्चात् खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/153/एक्ट/2017/219 दिनांक 14.02.2017 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के-749 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(II) के अन्तर्गत मिसब्राण्ड पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अभियुक्त के विरुद्ध एफ.एस.एस.एक्ट 2006 नियम 2011 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 01.06.2017 को प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस हींग (Compound Asafoetida Powder) का नमूना जांच हेतु लिया गया था वह उसने सेल्समैन से लिया था जिसने उसे बिल नहीं दिया था। अभियुक्त अपनी गलती स्वीकार करता है। अभियुक्त ने अपने जवाब में कहा है कि जांच रिपोर्ट में हींग (Compound Asafoetida Powder) मिसब्राण्ड पाया गया है। हींग (Compound Asafoetida Powder) की क्वालिटी सही पाई गई है। भविष्य में वह बिल से ही माल लेगा एवं बिक्री करेगा। अभियुक्त ने अपनी गलती स्वीकार कर लोक अदालत की भावना से कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण को समाप्त करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभियुक्त ने अपनी बहस में जवाब को दोहराते हुए लोक अदालत की भावना से कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण को समाप्त करने का निवेदन किया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त श्री अरूण पुन्यानी से लिया गया हींग (Compound Asafoetida Powder) के-749 जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/153/एक्ट/2017/219 दिनांक 14.02.2017 द्वारा मिसब्राण्ड पाया गया है। हींग में अपमिश्रण नहीं था और न ही मानव जीवन के लिए हानिकारक था। केवल मात्र बिना बिल के माल खरीद कर विक्रय किया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के उल्लंघन का अपराध साबित होता है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

जांच रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि Sample of Compound Asafoetida (R-Pure) bearing Code No. and Sr. No. K-749 of Designed Office cum The Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Misbranded Food Under Section 3(1)(zf)(c)(i) of FSS Act 2006 it is Contravene Regulation 2.2.2(10) of FSS(Packaging and Labeling) Regulation 2011

फलस्वरूप, श्री रमेश कुमार गर्ग पुत्र हीरालाल गर्ग –फर्म मै. रमेश किरयाना स्टोर को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उपधारा 2(II) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। अभियुक्त श्री रमेश कुमार गर्ग पुत्र हीरालाल गर्ग को एफ0एस0एस0एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 3000/- (अखरे रूपये तीन हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में खाद्य पदार्थ बिल पर क्रय किये जाकर बिल पर ही विक्रय किये जायें ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सके। इस आदेश की सख्ती से पालना की जावे।

निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



23/6/17
(नखतदान बारहठ)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।